# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

पुष्पेन्द्र पुत्र सेडयाराम जाति मीना निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम। (वादी)

बनाम

1. संतोष पुत्र हजारी
2. मु0 निरमा पत्नि संतोष
   जातियान मीना निवासीयान शेखपुरा तहसील टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0ः– 102/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट व ................................. हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, व डिक्री दी जाती है कि

अतः ग्राम शेखपुरा की आराजी ख0न0 3061/1426/0.09, 3063/1681/0.05 है0 मे गैरसायलान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे सायल के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे।

निज....................मुबलिंग...........................बाबत........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक..............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 31.07.2024 को जारी की गई।

( सुनीता मीना )
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

| मुदई | रूपया | पैसे | मुदायला | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
| स्टाम्प वकाल नामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | म्हनताना वकील | | |
| महनताना वकील | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फीस कमीश्नर | | |
| फीस कमीश्नर | | | वावत इजराय हुक्मनामा | | |
| ववत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मुतफरिक | | | | | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:08:40 IST
Reason: SelfAttested

मु0न0:—102/2021 उनवान:— पुष्पेन्द्र बनाम संतोष

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

मु0न0 102/2021 दिनांक:— 09.09.2021

पीठासीन अधिकारी:— सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

पुष्पेन्द्र पुत्र सेडयाराम जाति मीना निवासी शेखपुरा तहसील टोडाभीम।

(वादी)

बनाम

1. संतोष पुत्र हजारी
2. मु0 निरमा पत्नि संतोष

जातियान मीना निवासीयान शेखपुरा तहसील टोडाभीम।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:— श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट वादीया

निर्णय दिनांक 31.07.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम शेखपुरा की आराजी ख0न0 3061/1426/0.09, 3063/1681/0.05, 3066/93/0.13, 401/0.08 कुल किता 4 कुल रकवा 0.35 है0 मे वादी सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं, वादी खातेदारान के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबध मे किसी भी प्रकार का नही रहा है। और नाही आज है।

प्रतिवादीगण लठैत मुठमर्द व्यक्ति है जो लट्ठ के बल मे गरीब व असहाय व्यक्तियो की जमीन पर नाजायज कब्जा करते रहते है।

बॉका दिनांक 17.07.2021 को वादी अपनी आराजी 3061/1426, 3063/1681 को सूल बबूल साफ कर रहा था कि प्रतिवादीगण एक राय होकर ट्रेक्टर लेकर आये और जोत लगाने लगे, वादी ने समझाया कि तुम ऐसा क्यो करते हो तुम्हारा इस आराजी से कोई संबध किसी प्रकार का नही है। इतना सुनते ही प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा कहने लगे कि हमने अभी इन्ही खेतो पर जोत लगाई है तुमने कोई कानूनी कार्यवाही की तो तुम्हारी समस्त आराजी पर कब्जा कर लेगे तथा तुम्हे गाव से भगा देगे, इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तथा वादी को बेदखल कर कब्जा कर लिया तो वादी को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नही हो सकेगी इसलिये दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी की आराजी ख0न0 3061/1426/0.09, 3063/1681/0.05 है0 मे कब्जेकाश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, तथा कब्जेकाश्त [illegible] नही करे, वादी को बेदखल नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये [illegible] किया गया। प्रतिवादीगण ने प्रथम नियत पेशी पर उपस्थित होकर आ[illegible] किये, प्रथम नियत पेशी के पश्चात गैरसायलान अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय [illegible]वाही की गई।

वादी वकील की बहस सुनी गई। वादी वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि ग्राम शेखपुरा की आराजी 3061/1426/0.09, 3063/1681/0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:48:40 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)

...है0 वादी सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं, वादी खातेदारान के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई संबध मे किसी भी प्रकार का नही रहा है। और नाही आज है। प्रतिवादीगण लठैत मुठमर्द व्यक्ति है जो लट्ठ के बल मे गरीब व असहाय व्यक्तियो की जमीन पर नाजायज कब्जा करते रहते है। इस प्रकार प्रतिवादीगण अपनी इस गैरकानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तथा वादी को बेदखल कर कब्जा कर लिया तो वादी को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी

वादी वकील की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली मे शामिल ग्राम शेखपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2074–77 के खाता न0 554 मे कुल किता 4 कुल रकवा 0.35 है0 मे वादी सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायलान का प्रथम नियत पेशी पर उपस्थित होकर बाद मे अनुपस्थित न्यायालय रहने से स्पष्ट है कि वर्णित आराजीयात से गैरसायलान का किसी प्रकार से कोई संबध नही है। इसलिये वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः ग्राम शेखपुरा की आराजी ख0न0 3061/1426/0.09, 3063/1681/0.05 है0 मे गैरसायला को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे सायल के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे, नाही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

( सुनीता मीना )
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:08:40 IST
Reason: SelfAttested